



बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना ।

वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें ।

पत्रांक-04/STA-P3-232/2012(पार्ट) परि०-5587/पटना, दिनांक-29/8/18

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक-13.12.2017 को बिहार एवं झारखंड राज्य के विभिन्न अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परमिट की स्वीकृति के लिए आहुत राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में आपत्ति प्राप्त आवेदनों की सुनवाई राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा की गयी। जबकि कुछ आपत्ति प्राप्त आवेदनों की सुनवाई नहीं की जा सकी है।

अतएव निम्न मामलों की सुनवाई राज्य परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में दिनांक-10.09.2018 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से की जायेगी।

क्र० सं०	सुनवाई की तिथि	मद संख्या
1.	10.09.2018	(क-10)4 (क-20)1 एवं (क-20)2 (क-68)1, (क-68)2, (क-68)3 एवं (क-68)4 (ग-1)1 (ग-2)1 एवं (ग-2)2 (ग-6)7 (इस मद सं० में मेरीट के आधार पर परमिट स्वीकृति का निर्णय भी अपेक्षित है।)

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।